



प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उOप्रO, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2026

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन(परिवर्तित नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश मद में प्राविधानित धनराशि से अग्रिम के रूप में अवमुक्त किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पOकO/4-बजट/आयुOभाO/2026-27/1609, दिनांक 07.09.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (परिवर्तित नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुदान संO-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-04-आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन(के.O/रा.100-के.+रा.) के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में सूचीबद्ध चिकित्सालयों के लम्बित/प्राप्त होने वाले चिकित्सा दावों के भुगतान हेतु प्रशासनिक मदों में व्ययों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राविधानित धनराशि रूO 40000.00 लाख (रूपये चार अरब मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूO 11600.00 (रूपये रूपये एक अरब सोलह करोड़ मात्र) को अनुदान संख्या-83 के राजस्व(राज्यांश) लेखान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-17/2017/ए-1-1027/दस-2017-10(55)/2017, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 तथा उसके साथ संलग्न शासनादेश दिनांक-25-10-1983, 10-06-2011 तथा 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन एवं निम्नांकित शर्तों/प्रतिबंधों के साथ अग्रिम के रूप में अवमुक्त करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

- (1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
- (2) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उOप्रO द्वारा पूर्व में दी गयी समस्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च, 2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए पत्रावली पर वित्त विभाग को अवगत करायेंगे।
- (3) धनराशि के व्यय में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उसका व्यय उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिस हेतु इसका प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उसके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा किया जायेगा।
- (5) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उओप्रओ द्वारा आगामी प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित करते समय स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उओप्रओ स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (7) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजना पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। किन्हीं अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।
- (8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उओप्रओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2026-27 में जितनी धनराशि प्राप्त होनी है, वह प्राप्त कर ली जाएगी।
- (9) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उओप्रओ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,16,00,00,000 (रुपये एक अरब सोलह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2235027890104 आयुष्मान भारत- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (के.0/रा.100-रा.) मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ईओ-3-133/दस-2026-27, दिनांक 08 अक्टूबर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

संख्या-95/2026/1573(1)/004-5-9002-002-9-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना(साचीज)।
- 5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/एनओएचओएमओ, उओप्रओ, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।